न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह शेखावत)

प्रकरण संख्या – 73/2024 – निगरानी

रामगोपाल पिता भैरूलाल धोबी निवासी शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र मोतीलाल खटीक निवासी शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा।
2. ग्राम पंचायत शक्करगढ़ जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा।
3. ग्राम पंचायत शक्करगढ़ जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा।

–निगराकार – गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 विरूद्ध ग्राम पंचायत शक्करगढ़ पट्टा क्रमांक 86, दिनांक 26.11.2021

उपस्थित –

1. श्री अनिल कुमार शर्मा – निगराकार की ओर से

गैर निगराकारान अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक: 24.06.2024

1. निगराकारान की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आबादी हल्का ग्राम पंचायत शक्करगढ़ में निगराकार के नाम ग्राम पंचायत द्वारा जरिये पत्रावली सं. 25/2014 से स्वयं के कब्जेशुदा खाली जगह का पट्टा जारी किया गया तथा उक्त पट्टा बनाने से पूर्व गैर निगराकार सं. 02 व 03 द्वारा मौका देखा जाकर उसका एक नक्शा भी तैयार किया गया जिसमें उत्तर व दक्षिण में नाप 15 फिट एवं पूर्व व पश्चिम में 60 फिट नाप का नक्शा तैयार कर पट्टा जारी किया गया तथा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व निगराकार की ओर से जरिये रसीद सं. 45/1723 दिनांक 17.12.2014 से एवं रसीद सं. 100/7 दिनांक 06.12.2019 से राशि जमा कर पत्रावली का निर्णय किया गया तथा पत्रावली निर्णित करने के पश्चात् सम्पूर्ण कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित करने के पश्चात् उपरोक्त पट्टा निगराकार के नाम जारी किया गया। निगराकार के नाम पट्टा जारी करने के पश्चात् गैर निगराकारान् द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को लाभ पहुंचाने की नियत से निगराकार के पक्ष में जारी पट्टे की पत्रावली में अपने मनमुताबिक कांट फांस करते हुए पट्टे की साईज 15 गुणा 39 फिट कर दी जबकि पश्चिम और पूर्व दिशा में जो पट्टा निगराकार के पक्ष में जारी किया गया उसमें लम्बाई 60 फिट थी। बिना किसी विधिक अधिकार के गैर निगराकारान् ने निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा पत्रावली में काट

जिला कलक्टर
शाहपुरा

फास करते हुए गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में बिना किसी विधिक अधिकार के निगराकार के पट्टशुदा जायदाद में गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में तथाकथित पट्टा दिनांक 26.11.2021 को पट्टा सं. 86 जारी कर दिया। इस प्रकार गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी उक्त पट्टा प्रारम्भ से ही अकृत एवं शून्य है क्योंकि पट्टाशुदा जायदाद पर ग्राम पंचायत को पत्रावली में काट फास कर पुनः पट्टा जारी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। गैर निगराकारान् को उक्त तथ्य कि जानकारी थी कि वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा निगराकार के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली संधारित कर जारी कर रखा है, फिर भी गैर निगराकार सं. 02 व 03 ने गैर निगराकार सं. 01 के प्रभाव में आकर निगराकार के भूखण्ड की संधारित पत्रावली में काट फास कर गैर निगराकार सं. 01 में पक्ष में पट्टा जारी कर दिया। जबकि मौके पर वर्तमान में 15 गुणा 60 फिट के भूखण्ड पर निगराकार का कब्जा आज तक निरन्तर चला आ रहा है। गैर निगराकारान् द्वारा किये गये विधि विरुद्ध कृत्य के पश्चात् दिनांक 18.01.2024 को गैर निगराकार से 01 ने निगराकार को मौके से बेदखल करने का प्रयास किया व अन्यत्र हस्तान्तरणकरने की धमकी दी। तत्पश्चात् निगराकार ने पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त की, तब जानकारी हुई कि गैर निगराकारान् द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा शुदा जायदाद की संधारित पत्रावली में काट फास कर एवं मोतीलाल जो कि गैर निगराकार सं. 01 के पिता है, जो वार्ड पंच है, उसके बावजूद भी राजस्थान पंचायत राज अधिनियमों की अवहेलना कर गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया है तथा उक्त पट्टे का पंजीयन भी ग्राम पंचायत द्वारा करवा दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार स 01 के पक्ष में जारी तथाकथित पट्टा सं. 86 दिनाक 26.11.2021 को निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान करावें तथा गैर निगराकारान् द्वारा निगराकार को अपने पट्टाशुदा भूखण्ड से बेदखल नहीं करे एवं अन्यत्र हस्तान्तरित नहीं करे।

2. प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 26.02.2024 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया । गैर निगराकार संख्या 01 ओर से अधिवक्ता श्री अतुल जोशी द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया। ततपश्चात् गैर निगराकान द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया।

4. प्रकरण में निगराकार अधिवक्ता बहस सुनी गयी। अधिवक्ता निगराकार की ओर से बहस प्रस्तुत कर निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया गया कि पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा दिनांक 15.03.2024 को ग्राम पंचायत शक्करगढ़ द्वारा अपात्र व्यक्तियों को जारी पट्टों के संबंध में एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें गैर निगराकार संख्या 01 को जारी उक्त विवादित पट्टे के संदर्भ में पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा टिप्पणी की गई कि उक्त पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया गया है। अतः अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार स 01 के पक्ष में जारी तथाकथित पट्टा सं. 86 दिनाक 26.11.2021 को निरस्त कराये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता गैर निगराकार संख्या 01 दौराने बहस अनुपस्थित।

6. प्रस्तुत बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। निगराकारान द्वारा अपनी निगरानी में यह जाहिर किया कि निगराकार के नाम पट्टा जारी करने के पश्चात् गैर निगराकारान् द्वारा गैर निगराकार सं. 01 को लाभ पहुंचाने की नियत से निगराकार के पक्ष में जारी पट्टे की पत्रावली में अपने मनमुताबिक कांट फांस करते हुए पट्टे की साईज 15 गुणा 39 फिट कर दी जबकि पश्चिम और पूर्व दिशा में जो पट्टा

जिला कलक्टर
शाहपुरा

निगराकार के पक्ष में जारी किया गया उसमें लम्बाई 60 फिट थी। निगराकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में स्पष्ट दिख रहा है कि निगराकार को जारी पट्टे में काट फास हो रखी है। जिसका ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। पंचायत समिति जहाजपुर की जांच प्रतिवेदन क्रमांक पसज/2024/1953 दिनांक 15.03.2024 में भी ग्राम पंचायत शक्करगढ़ द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 को जारी उक्त विवादित पट्टे को नियम विरूद्ध जारी किया जाना बताया गया है। स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य होकर गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 86 दिनाक 26.11.2021 निरस्त किये जाने योग्य है। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 विरूद्ध ग्राम पंचायत शक्करगढ़ पट्टा क्रमांक 86, दिनांक 26.11.2021 स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत शक्करगढ़ द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 86 दिनाक 26.11.2021 को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के अधीनस्थ ग्राम पंचायत शक्करगढ़ को पालनार्थ प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर शाहपुरा (राज.)

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
जिला कलक्टर
शाहपुरा

जिला कलक्टर
शाहपुरा

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, शाहपुरा

रामगोपाल पुत्र भैरूलाल धोबी, निवासी शक्करगढ़, तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा।	बनाम	मुकेश कुमार पुत्र मोतीलाल खटीक, निवासी शक्करगढ़, तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा वगेरा।
– प्रार्थी		–विपक्षी

प्रकरण संख्या 73/2024 निगरानी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.02.2024	पत्रावली वाद जांच पेश हुई। प्रकरण पंजीबद्ध कर विपक्षी को नोटिस जारी करें। अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड/जवाब तलब किया जावें। प्रकरण आयन्दा सुनवाई हेतु दिनांक 12.03.2023 को पेश करें। (हस्ताक्षर) (राजेन्द्र सिंह शेखावत) जिला कलक्टर शाहपुरा।	
12.03.2024	पत्रावली पेश हुई। निगरानीकर्ता अधिवक्ता उपस्थित। और निगरानीकर्ता सं. 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अतुल जोशी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18.03.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर शाहपुरा	
18.03.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता निगरानीकर्ता द्वारा दस्तावेजात पेश किये। जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब एवं बहस हेतु दिनांक 27.03.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर शाहपुरा	
27.03.24	पत्रावली पेश हुई निगरानीकार मय अधिवक्ता उपस्थित और गैरनिगरानीकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पूर्व दिनांक 18.03.2024 को ग्राम पंचायत शक्करगढ़ से पत्रावली तलबी का आदेश सहवन से रह गया था। [illegible] से सम्बन्धित पत्रावली ग्राम पंचायत शक्करगढ़ लगातार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	से तलब हो मलगा से तहरीर जारी हो। पत्रावली वास्ते आगिम कार्यवाही हेतु 02.04.24 पेश हो। जिला कलक्टर शाहपुरा	
02.04.2024	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते आगामी सुनवाई दिनांक 15.04.2024 को पेश हो। रीडर जिला कलक्टर शाहपुरा	
15.04.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते आगामी सुनवाई दिनांक 23.04.2024 को पेश हो। जिला कलक्टर शाहपुरा	
23.04.2024	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते आगामी सुनवाई दिनांक 29.04.2024 को पेश हो। रीडर जिला कलक्टर शाहपुरा	
29.04.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते आगामी सुनवाई दिनांक 06.05.2024 को पेश हो। रीडर जिला कलक्टर शाहपुरा	
06.05.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगराकार उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षीगण अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते आगामी सुनवाई दिनांक 20.05.24 को पेश हो। जिला कलक्टर शाहपुरा	

हुकम व
मुकदमा की जो
जारी हुए त

20.05.24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगरानीकार उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा दस्तावेजात पेश किये जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब एवं बहस हेतु दिनांक 24.05.2024 को पेश हो।

जिला कलक्टर
शाहपुरा

24.05.24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त हैं पत्रावली वास्ते आगामी सुनवाई दिनांक 12.06.2024 को पेश हो।

रीडर
जिला कलक्टर
शाहपुरा

12.06.24 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर होने से पत्रावली पुनः दिनांक 18.6.24 को पेश हो।

रीडर
जिला कलक्टर
शाहपुरा

18.6.24 पत्रावली पेश हुई. और निगरानीकार द्वारा न तो उपस्थिति दी जा रही है व नहीं प्रकरण में जवाब पेश किया गया है. और निगरानीकार के एडवोकेट भी उपस्थित नहीं है. बहस समाप्त हुई. वास्ते निर्णय दिनांक 24.6.24 को पेश हो.

जिला कलक्टर
शाहपुरा

24.06.24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता निगरानीकार उप०।
प्रकरण में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर
बाद हस्ताक्षर खुले इजलास सुनाया गया।
निर्णय संलग्न है पत्रावली फैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो।

जिला कलक्टर
शाहपुरा

सेवामें,

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय,

शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रकरण सं. /2024 निगरानी

रामगोपाल पिता भैरूलाल जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा — निगराकार

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र मोतीलाल खटीक उम्र 37 वर्ष निवासी शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
2. ग्राम पंचायत शक्करगढ़ जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा
3. ग्राम पंचायत शक्करगढ़ जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा — गैर निगराकारान्

निगरानी : अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम

महोदय जी,

निगराकार की ओर से निम्न प्रकार निगरानी प्रस्तुत है :—

1. यह है कि आबादी हल्का ग्राम पंचायत शक्करगढ़ में निगराकार के नाम ग्राम पंचायत द्वारा जरिये पत्रावली सं. 25/2014 से स्वयं के कब्जेशुदा खाली जगह का पट्टा जारी किया गया तथा उक्त

पट्टा बनाने से पूर्व गैर निगराकार सं. 02 व 03 द्वारा मौका देखा जाकर उसका एक नक्शा भी तैयार किया गया जिसमें उत्तर व दक्षिण में नाप 15 फिट एवं पूर्व व पश्चिम में 60 फिट नाप का नक्शा तैयार कर पट्टा जारी किया गया तथा उक्त पट्टा जारी करने से पूर्व निगराकार की ओर से जरिये रसीद सं. 45/1723 दिनांक 17.12.2014 से एवं रसीद सं. 100/7 दिनांक 06.12.2019 से राशि जमा कर पत्रावली का निर्णय किया गया तथा पत्रावली निर्णित करने के पश्चात् सम्पूर्ण कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित करने के पश्चात् उपरोक्त पट्टा निगराकार के नाम जारी किया गया।

2. यह है कि निगराकार के नाम पट्टा जारी करने के पश्चात् गैर निगराकारान् द्वारा आपराधिक षड़यंत्र करते हुए गैर निगराकार सं. 01 को लाभ पहुंचाने की नियत से निगराकार के पक्ष में जारी पट्टे की पत्रावली में अपने मनमुताबिक कांट फांस करते हुए पट्टे की साईज 15 गुणा 39 फिट कर दी जबकि पश्चिम और पूर्व दिशा में जो पट्टा निगराकार के पक्ष में जारी किया गया उसमें लम्बाई 60 फिट थी। बिना किसी विधिक अधिकार के गैर निगराकारान् ने निगराकार के पक्ष में जारी पट्टा पत्रावली में कांट फांस करते हुए गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में बिना किसी विधिक अधिकार के निगराकार के पट्टेशुदा जायदाद में गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में तथाकथित पट्टा दिनांक 26.11.2021 को पट्टा सं. 86 जारी कर दिया। इस प्रकार गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी पट्टा सं. 86 दिनांक 26.11.2021 अपने प्रारम्भ से ही अकृत एवं शून्य है

क्योंकि पट्टेशुदा जायदाद पर ग्राम पंचायत को पत्रावली में कांट फांस कर पुनः पट्टा जारी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।

3. यह है कि गैर निगराकार सं. 01 के पिता मोतीलाल जो कि वर्तमान में ग्राम पंचायत शक्करगढ़ में वार्ड पंच के पद पर पदासीन है जिन्होनें अपने पद व प्रभाव का दुरुपयोग कर निगराकार के पक्ष में जारी पट्टेशुदा जायदाद जिसकी पत्रावली ग्राम पंचायत द्वारा संधारित की गई थी जिसमें कांट फांस करते हुए गैर निगराकार सं. 02 व 03 ने गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में पट्टा सं. 86 दिनांक 26.11.2021 जारी कर दिया है। ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार गैर निगराकार सं. 02 व 03 को नहीं है।

4. यह है कि गैर निगराकारान् को उक्त तथ्य कि जानकारी थी कि वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा निगराकार के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली संधारित कर जारी कर रखा है, फिर भी गैर निगराकार सं. 02 व 03 ने गैर निगराकार सं. 01 के प्रभाव में आकर निगराकार के भूखण्ड की संधारित पत्रावली में कांट फांस कर गैर निगराकार सं. 01 में पक्ष में पट्टा जारी कर दिया। जबकि मौके पर वर्तमान में 15 गुणा 60 फिट के भूखण्ड पर निगराकार का कब्जा आज तक निरन्तर चला आ रहा है।

5. यह है कि गैर निगराकारान् द्वारा किये गये विधि विरुद्ध कृत्य के पश्चात् दिनांक 18.01.2024 को गैर निगराकार सं. 01 ने निगराकार को मौके से बेदखल करने का प्रयास किया व अन्यत्र हस्तान्तरण

करने की धमकी दी। तत्पश्चात् निगराकार ने पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त की, तब जानकारी हुई कि गैर निगराकारान् द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से निगराकार के पक्ष में जारी पट्टे शुदा जायदाद की संधारित पत्रावली में कांट फांस कर एवं मोतीलाल जो कि गैर निगराकार सं. 01 के पिता है, जो वार्ड पंच है, उसके बावजूद भी राजस्थान पंचायत राज अधिनियमों की अवहेलना कर गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया है तथा उक्त पट्टे का पंजीयन भी ग्राम पंचायत द्वारा करवा दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यह है कि अन्य आधार वक्त बहस निवेदन किये जायेंगे।

7. यह है कि निगरानी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की होने से न्यायालय श्रीमान् में उचित कोर्ट फीस पर अन्दर अवधि पेश की जा रही है। निगरानी की ताईद में निगराकार का शपथ पत्र प्रस्तुत है।

अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी तथाकथित पट्टा सं. 86 दिनांक 26.11.2021 को निरस्त कराये जाने की कृपा करावें तथा गैर निगराकारान् द्वारा निगराकार को अपने पट्टेशुदा भूखण्ड से बेदखल नहीं करें एवं अन्यत्र हस्तान्तरित नहीं करें।

दिनांक : 13.02.2024

हस्ताक्षर

सेवामें,

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय,

शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रकरण सं. /2024 निगरानी

रामगोपाल पिता भैरूलाल जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा — निगराकार

बनाम

मुकेश कुमार पुत्र मोतीलाल खटीक उम्र 37 वर्ष निवासी शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा वगैरह — गैर निगराकारान

निगरानी : अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम

—:: शपथ—पत्र ::—

मैं रामगोपाल पिता भैरूलाल जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा शपथ पूर्वक निवेदन करता हूं कि :—

1. मैं सशपथ ब्यान करता हूं कि निगरानी के पैरा नं. 01 लगायत 07 में वर्णित तथ्य मेरे स्वयं ज्ञान से सही व सत्य है, व कानूनी सलाह से सही है तथा निगरानी में वर्णित कथनों को मैं इस शपथ पत्र में भी दोहराता हूं व निगरानी को इस शपथ पत्र का भाग माना जावे।

तारीख :13 .02.2024 तस्दीक हस्ताक्षर

मैं रामगोपाल पिता भैरूलाल जाति धोबी उम्र वयस्क निवासी शक्करगढ़ तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा शपथ पूर्वक तस्दीक करता हूं कि उपरोक्त शपथ पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित तथ्य मेरे स्वयं के ज्ञान से सही एवं सत्य है।

तारीख :13.02.2024 हस्ताक्षर